

**न्यायमूर्ति आद्रश कुमार गोएल और आलोक सिंह के समक्ष
डेरा बाबा जोध सचयर— याचिकाकर्ता**

बनाम

भारत सरकार और अन्य, — उत्तरदाता

सी.पी.डबल्यू. 2006 की संख्या 68

22 फरवरी 2010

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — आयकर अधिनियम, 1961 — धारा 80G (5) — आयुक्त ने आय के स्रोत के आधार पर एक पंजीकृत धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट को छूट का नवीनीकरण देने से इनकार कर दिया - यह आय का स्रोत नहीं है जिसे देखा जाना चाहिए, बल्कि आय का निवेश - यदि आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है ट्रस्ट/सोसाइटी के उद्देश्य के अनुसार छूट देने से आमतौर पर इनकार नहीं किया जा सकता है - धारा 80 जी के तहत छूट देने या अस्वीकार करने के लिए मुख्य मानदंड यह है कि क्या प्राप्त आय का उपयोग ट्रस्ट/सोसाइटी के उद्देश्य के अनुसार धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। या नहीं छूट का नवीनीकरण देने से इनकार करने का आदेश रद्द कर दिया गया मामला पुनर्विचार के लिए आयुक्त को भेज दिया गया।

अभिनिर्णित किया गया कि विद्वान आयुक्त ने इस प्रश्न पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि क्या याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आय का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्य के अनुसार धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या नहीं। विद्वान आयुक्त ने केवल आय के स्रोत के आधार पर छूट का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया। निर्णयों के अवलोकन से हमारा मानना है कि आय का स्रोत नहीं, बल्कि आय का निवेश देखा जाना चाहिए। यदि आय का उपयोग ट्रस्ट/सोसाइटी के उद्देश्य के अनुसार धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, तो आमतौर पर छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है। धारा 80 जी के तहत छूट देने या अस्वीकार करने के लिए मुख्य मानदंड जिस पर विचार करना आवश्यक है वह यह है कि क्या प्राप्त आय का उपयोग ट्रस्ट/सोसाइटी के उद्देश्य के अनुसार धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या नहीं।

(पेरा 12 और 13)

सुनील मुखी, याचिकाकर्ता के वकील

सुकांत गुप्ता, प्रतिवादियों के वकील।

डैरा बाबा जोध सचयर बनाम भारत सरकार और अन्य (न्यायमूर्ति आलोक सिंह)

न्यायमूर्ति आलोक सिंह,

(1) वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता आयकर आयुक्त करनाल द्वारा पारित 9 सितंबर 2005 के आदेश को चुनौती दे रहा है जिससे आयकर अधिनियम की धारा 80जी(5) के तहत छूट का नवीनीकरण देने से इनकार कर दिया गया।

(2) वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/सोसाइटी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए(1)(बी)(i) के तहत पंजीकरण संख्या 227/91-डी/97-98 दिनांक 12 जून. 1998. के तहत पंजीकृत किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह एक पंजीकृत धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट है जो निःशुल्क होम्योपैथी औषधालय, गरीब लड़कियों और विधवाओं के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण विद्यालय, गरीबों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राइमरी स्कूल, समाज के नैतिक और नीतिपरक उत्थान के लिए दैनिक धार्मिक उपदेश देता है, दैनिक मुफ्त भोजन प्रदान करता है, गरीबों के लिए लंगर और आश्रय प्रावधान और ऐसी अन्य धर्मार्थ गतिविधियाँ 1910 से चला रहा है। दिनांक 18 अक्टूबर 2000 को पारित आदेश जो 1 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2005 तक लागू हुआ जिसके तहत याचिकाकर्ता को आयकर अधिनियम 1961, की धारा 80 जी के तहत छूट दी गई थी। आयकर आयुक्त ने याचिकाकर्ता से विभिन्न जानकारी और विवरण मांगे और मामले को समय-समय पर तय किया और अंततः अधिनियम की धारा 80 जी (5) के तहत छूट के नवीनीकरण को देने से इनकार करते हुए विवादित आदेश पारित किया।

(3) याचिकाकर्ता मुख्य रूप से इस आधार पर आक्षेपित आदेश की आलोचना कर रहा है कि आयकर आयुक्त इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में विफल रहे हैं कि प्राप्त पूरी आय का उपयोग भारत में केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का आगे मामला यह है कि विद्वान आयुक्त ने इस बात की

भनक तक दर्ज नहीं की कि ट्रस्ट की आय का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, न कि धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए।

(4) विभाग ने जवाब दावा दाखिल करके याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया है। छूट के नवीनीकरण को अस्वीकार करने का मुख्य आधार यह था कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट को कुछ व्यक्तियों को धन उधार देते हुए पाया गया था और दान में प्राप्त धन से भवन का निर्माण करते हुए पाया गया था।

(5) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(6) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने याचिका की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं और तर्क दिया कि छूट के नवीनीकरण को मंजूरी देने के लिए धारा 80 जी के तहत पारित आदेश आयकर अधिनियम की धारा 253 (1) (सी) के तहत अपील योग्य है। इसलिए, अपील के संपूर्ण उपाय के निकास बिना रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(7) आयकर आयुक्त द्वारा 9 सितंबर 2005 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और वर्तमान रिट याचिका 3 जनवरी 2006 को दायर की गई थी। धारा 80 जी के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील, धारा 253(1)(c) के तहत पहली बार वर्ष 2007 में प्रदान की गई थी जो 1 जून, 2007 से प्रभावी हुई। वित्त अधिनियम, 2007 संशोधन से पहले जो 1 जून 2007 से लागू हुई, धारा 80 जी के तहत निर्विवाद रूप से छूट देने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ दोबारा अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं था। निर्विवादित रूप से अपील दायर करना एक वैधानिक अधिकार है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि अधिनियम में किया गया कोई भी संशोधन हमेशा संभावित होता है जब तक कि इसे पूर्वव्यापी न बनाया जाए। वर्तमान याचिका धारा 253(1)(सी) के तहत संशोधन से पहले दायर की गई थी, इसलिए, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति मान्य नहीं है और खारिज कर दी गई है।

(8) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि विवादित आदेश 9 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, उसके बाद निर्धारण अधिकारी ने 23 अक्टूबर 2006 के आदेश के तहत दर्ज किया कि पूरी आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, आक्षेपित आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2006 इस प्रकार है:---

‘करदाता समाज दो डेरा आश्रम चला रहा है एक पानीपत में और दूसरा हरिद्वार में और एक प्राइमरी स्कूल (जे.एस. मॉडल स्कूल) पानीपत आश्रम के परिसर में। करदाता भरोसा करता है कि यह आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत है और आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया क्योंकि इसने अपनी सारी आय धर्मार्थ कार्यों में लगा दी है। अभिलेखों के अवलोकन से निर्धारिती का तर्क है कि उसने अपनी सारी आय भारत में धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगा दी है और इसलिए छूट का दावा 5,28,344 रूपये आईटी अधिनियम की धारा 11 के तहत उचित है और स्वीकृत है।”

डेरा बाबा जोध सचयर बनाम भारत सरकार और अन्य
(न्यायमूर्ति आलोक सिंह)

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, एक स्थान पर निर्धारण अधिकारी यह स्वीकार कर रहा है कि याचिकाकर्ता ने अपनी सारी आय भारत में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लगाई है और अन्य स्थान पर, आयुक्त ने प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज किए बिना, जैसा कि क्या आय का उपयोग भारत में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, आक्षेपित आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, इस सवाल पर निष्कर्ष निकालना कि क्या प्राप्त सभी आय का उपयोग भारत में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, धारा 80 जी के तहत छूट के नवीनीकरण को देने या अस्वीकार करने के लिए अपरिहार्य है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **श्री सरदारमल संचेती चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य (1)** के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, जहां पैराग्राफ संख्या 5 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार देखा है:-

".....हालाँकि, यह देखना उचित प्रतीत होता है कि ओसवाल छात्रावास नामक छात्रावास में एक कमरे के निर्माण के उद्देश्य से योगदान को अधिनियम की धारा 80जी(5बी) के तहत अपने आप में आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाला कार्य नहीं माना जा सकता है। अन्य पहलू विशेष रूप से संबंधित ट्रस्ट के धन के उपयोग से संबंधित इसके लक्ष्यों और वस्तुओं के संदर्भ में विचार की आवश्यकता है और छूट के नवीनीकरण के लिए आवेदन को एक सार संदर्भ के साथ खारिज नहीं किया जा सकता है, किसी विशेष छात्रावास के संबंध में एक विशेष दान की मात्रा, भले ही ऐसा छात्रावास किसी विशेष समुदाय द्वारा प्रबंधित किया जाता हो।"

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और अन्य (2)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा जताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 29 और 30 में अभिनिर्णित किया है:-

(आई) (२०० ९) २० DTR (राज) 203
(२) (२००) D डीटीआर (एस.सी.) 183

"29. **सीआईटी बनाम सूरत कला रेशम कपड़ा निर्माता एसोसिएशन (सुप्रा) में** इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि गतिविधि के प्रमुख उद्देश्य का परीक्षण यह देखा जाना है कि क्या यह केवल शिक्षा के लिए मौजूद है और लाभ कमाने के लिए नहीं है। हालांकि उद्देश्य केवल इसलिए अपना अस्तित्व नहीं खोएगा कि इस गतिविधि से कुछ लाभ होता है। शैक्षिक गतिविधि को इस तरह से चलाना संभव नहीं है कि व्यय बिल्कुल आय के बराबर हो और परिणामी लाभ न हो। उसे हासिल करने के लिए यह न केवल व्यावहारिक कार्यान्वयन में कठिन होगा बल्कि प्रबंधन के अनुचित सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चल रहा है या नहीं, निर्धारित प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि क्या आय का संतुलन पूरी तरह से और विशेष रूप से उन उद्देश्यों पर लागू होता है जिनके लिए आवेदक स्थापित किया गया है।"

"30. प्राप्तकर्ताप्राप्तकर्ता की विशेषता का निर्णय करने में प्रत्येक वर्ष के लाभ को देखना आवश्यक नहीं है, बल्कि भारत में की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है। यदि भारतीय गतिविधि का शिक्षा से कोई सह-संबंध नहीं है, तो छूट से इनकार किया जाना चाहिए (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय देखें)। इसलिए, गतिविधियों की प्रकृति से पता लगाया गया कि आय प्राप्त करने वाले की विशेषता में भारत में शैक्षणिक संस्थान की विशेषता होना चाहिए।"

(12) आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि विद्वान आयुक्त ने इस प्रश्न पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि क्या याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। विश्वास की वस्तु के अनुसार या नहीं। विद्वान आयुक्त ने केवल आय के स्रोत के आधार पर छूट का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा ऊपर उद्धृत निर्णयों के अवलोकन से, हमारा विचार है कि यह आय का स्रोत नहीं है जिसे देखा जाना चाहिए, बल्कि आय का निवेश है। यदि आय का उपयोग ट्रस्ट/सोसाइटी के उद्देश्य के अनुसार धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, तो आमतौर पर छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(13) राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने **आयकर आयुक्त बनाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एजुकेशनल सोसाइटी** (3) के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है और तर्क दिया है कि यदि शिक्षा प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना है, तो यह कोई धर्मार्थ गतिविधि नहीं है। हमारी राय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता। धारा 80जी के तहत छूट देने या अस्वीकार करने के लिए मुख्य मानदंड जिस पर विचार करना आवश्यक है वह यह है कि प्राप्त आय का उपयोग ट्रस्ट/सोसाइटी के उद्देश्य के अनुसार धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या नहीं।

(3) (2009) 315 1TR 428 (tJttarakhand)

डेरा बाबा जोध सचयर बनाम भारत सरकार और अन्य (न्यायमूर्ति आलोक सिंह)

(14) दिनांक 23 अक्टूबर 2006 के मूल्यांकन आदेश के परिप्रेक्ष्य में और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णयों के मद्देनजर, हमारा विचार है कि मामले पर विद्वान आयुक्त द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

(15) तदनुसार, 9 सितंबर, 2005 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को आयकर आयुक्त के पास वापस भेज दिया गया है। याचिकाकर्ता को 29 मार्च, 2010 को विद्वान आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा
